न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–13, गाजियाबाद।

उपस्थित: पीठासीन अधिकारी– सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

क्रिमिनल मिस० नं०–02/2008

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–400002/2008)

CNR No.–UPGZ01–000177–2008

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लीले

धारा–446 दं० प्र० सं०

थाना–पिलखुआ।

उपस्थितः-

1. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री नितिन शर्मा।
2. प्रार्थी/जामिन लीले की तरफ से कोई नहीं।

दिनांक–19.10.2024

1– पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि यह फौजदारी प्रकीर्णवाद जामिनान लीले पुत्र विहारी एवं बलवीर पुत्र पूरन सिंह निवासीगण ग्राम भनेडा खुर्द थाना लोनी, जिला गाजियाबाद के विरुद्ध जमानत बांड के जब्तीकरण की बाबत कार्यवाही प्रचलित है।

2– प्रस्तुत मामले में इस न्यायालय द्वारा जामिन/अभियुक्त लीले पुत्र विहारी निवासी ग्राम भनेडा खुर्द थाना लोनी, जिला गाजियाबाद के विरुद्ध दिनांक 12.01.2024 के लिए वसूली हेतु अधिपत्र जारी किया गया था, जिस पर उपनिरीक्षक श्री जबर सिंह द्वारा आख्या दी गयी कि अभियुक्त की मृत्यु दिनांक 21.05.2008 को हो चुकी है, जिसके मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

3– तामीलकर्ता उपनिरीक्षक श्री जबर सिंह द्वारा दिनांक 19.10.2024 में अभियुक्त/जामिन लीले पुत्र विहारी की मृत्यु के संबंध में सी.डब्लू. 01 के रूप में अपने बयान न्यायालय में अभिलिखित कराये हैं, जिनके बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा मृत्यु आख्या पर **प्रदर्श ग–1** डालाय गया। सागर पुत्र लीले निवासी भनेडा खुर्द, थाना टीलामोड, गाजियाबाद द्वारा अपने पिता की मृत्यु लम्बी बीमारी के कारण दिनांक 21.05.2008 को असालतपुर में होने के संबंध में एक हस्तलिखित तहरीर दी है, जिस पर **प्रदर्श ग–2** डाला गया तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र पंजीकरण संख्या 007/D/2008, जिसमें अभियुक्त/जामिन की मृत्यु दिनांक 21.05.2008 में होना दर्शाया गया है, जिस पर **प्रदर्श ग–3** डाला गया। सी.डब्लू. 01 द्वारा अपने बयान में यह लिखा कि वह अभियुक्त लीले की मृत्यु आख्या से पूर्णतया संतुष्ट है।

4– जामिन/ अभियुक्त लीले पर रिकवरी वारन्ट जारी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी है। अतः धारा 446 (3) दं०प्र०सं० के अंतर्गत उसके वंशज के खिलाफ रिकवरी की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

5– अतः उपरोक्त बयान, प्रपत्रों तथा विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त लीले पुत्र स्व० विहारी के विरुद्ध लम्बित प्रस्तुत फौजदारी विविध वाद अभियुक्त की मृत्यु होने के कारण उसके विरुद्ध मामले की अग्रिम कार्यवाही उपशमित (Abate) किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– फौजदारी प्रकीर्णवाद संख्या–02/2018 में अभियुक्त/जामि लीले की मृत्यु होने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमति की जाती है।

2– इस पत्रावली में एक अन्य अभियुक्त/जामिन बलवीर पुत्र पूरन सिंह नामित है, जिसके संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 16.11.2024 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या– 13, गाजियाबाद।